

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छवड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक 50/25

दिनांक 20.09.2025

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री दोलतराम पुत्र/पुत्री श्री श्याम लाल व पार्षना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम लीतरखेडी पटवारी माफ्यन लीतरखेडी तहसील छवड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 13 में खातेदार/गैरखेतीदार का नाम/जाति दोला पुत्र श्यामा अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से दोलतराम पुत्र श्याम लाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जाच पटवारी लीतरखेडी से करवाने पर पटवारी ने दोला पुत्र श्यामा के बजाय दोलतराम पुत्र श्याम लाल करना उचित बताया। तहसीलदार छवड़ा ने भी उक्त खाते में दोला पुत्र श्यामा के बजाय दोलतराम पुत्र श्याम लाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (शु. अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम लीतरखेडी के खाता संख्या 13 में खातेदार/गैरखेतीदार का नाम/जाति दोला पुत्र श्यामा के स्थान पर सम्मानजनक रूप से दोलतराम पुत्र श्याम लाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छवड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
(Land Record Officer)
छवड़ा जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (कर)